

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

-:: संशोधित आदेश ::-

क्रमांक / 1142 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2021

बलौदाबाजार, दिनांक 12 जून 2021

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 1140 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2021 बलौदाबाजार दिनांक 12 जून 2021 की कंडिका 2(iv) में विवाह कार्यक्रम एवं मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है, जिसे 10 के स्थान पर 50 पढ़ा जावे।

यह आदेश दिनांक 13.06.2021 प्रातः 6.00 बजे से लागू होगा।

W  
12.06

(सुनील कुमार जैन)

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,  
बलौदाबाजार-भाटापारा (C.G.)



पृ. क्रमांक / 1143 / अजिद / एस.डब्ल्यू / 2021

बलौदाबाजार, दिनांक 12 जून 2021

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. पुलिस अधीक्षक, बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. वनमंडलाधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. अति.जिला दंडाधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. अनुविभागीय दंडाधिकारी एवं इंसिडेंट कमाण्डर बलौदाबाजार/भाटापारा/सिमगा /बिलाईगढ़/कसडोल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., बलौदाबाजार-भाटापारा, की ओर इस आदेश की एक प्रति स्कैन कर, जिला की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. सहायक संचालक, जनसंपर्क विभाग, बलौदाबाजार-भाटापारा, को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्र एवं सोशल मिडिया में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

11. जिला परिवहन अधिकारी, बलौदाबाजार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। बलौदाबाजार-भाटापारा जिला अंतर्गत आवागमन के दौरान उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें।
12. तहसीलदार/कार्यपालिक दंडाधिकारी समस्त जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आपके क्षेत्र अंतर्गत व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
13. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बलौदाबाजार/भाटापारा/सिमगा/बिलाईगढ़/कसडोल को सूचनार्थ एवं उचित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
14. मुख्य नगर पालिका/पंचायत अधिकारी, (समस्त) बलौदाबाजार-भाटापारा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपके क्षेत्र अंतर्गत व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
15. समस्त कार्यालय प्रमुख.....जिला बलौदाबाजार-भाटापारा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
16. ....समस्त आम जनता, जिला बलौदाबाजार द्वारा सहायक संचालक, जनसंपर्क, बलौदाबाजार को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
 12.06

कलेक्टर एवं जिला प्रशासक  
 बलौदाबाजार-भाटापारा (G.G.)